HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11636/2025

Pawan Kumar S/o Ramesh Chander, Aged About 50 Years, R/o Village Patti Khurampur Malsiya Tehsil Shahkot Dist. Jalander Punjab

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Nishant Motsara
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP Mr. Nishank madan IO Mr. Bansilal HC-66 PS Vijay Nagar Distt. Shriganganagar

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

01. प्रार्थी की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 218/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 316(5), 318(2), 318(3), 336(3), 61(2), भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस अग्रिम जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता का तर्क रहा कि इस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त एमआर राईस मिल के मालिक मनीष मलहोत्रा के पास एकाउण्टस का काम करता था व अन्य लोगों के पास भी एकाउण्ट्स का काम करता था, अन्य लोगों द्वारा दिये गये सर्टिफिकेट भी पत्रावली पर पेश किये गये हैं। प्रार्थी–अभियुक्त को माल सप्लाई नहीं किया गया, माल यदि सप्ताई भी किया गया तो मनीष मलहोत्रा की फर्म को किया जाना परिवादी द्वारा बताया गया है, कोई भी रकम अदा नहीं की तो उसकी जिम्मेवारी अधिक से अधिक मनीष मलहोत्रा की हो जाती है। प्रार्थी–अभियुक्त को कोई माल की रकम की अदायगी नहीं करनी है। प्रार्थी–अभियुक्त को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कोई बरामदगी प्रार्थी–अभियुक्त से होनी नहीं है। इन आधारों पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया। विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मनीष मलहोत्रा के साथ प्रार्थी–अभियुक्त भी सौदे के समय आया था इसलिए प्रार्थी–अभियुक्त भी समान रूप से उत्तरदायी है, इस आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। तथ्यात्मक रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अप्रार्थी पवन कुमार का परिवादी की फर्म नत्थुलाल एण्ड कंपनी श्रीविजयनगर से रूपयों का लेन–देन नहीं होना पाया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अन्य फर्मों के प्रमाण पत्रों का अवलोकन किया। कोई बरामदगी प्रार्थी–अभियुक्त से नहीं होना बताया गया है। बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में इस न्यायालय की राय में प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित होगा।

06. परिणामतः अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त **पवन कुमार पुत्र रमेश चन्द्र** को उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रकरण में गिरफ्तार करने की स्थिति में गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की संतुष्टि अनुसार एक लाख रूपये का मुचलका एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत निम्न शर्तों सहित पेश करने पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये :–

1. यह कि प्रार्थी पुलिस द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा,
2. यह कि प्रार्थी उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष कि ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा,
3. यह कि प्रार्थी न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

218-SN LOHRA/-